

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272365
CG-DL-E-08052026-272365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948
No. 309]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 343(अ) – मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि संख्यांक 936 (अ), दिनांक 30 दिसंबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित के अधिकांत में -

- (i) मजदूरी संदाय (कार्यविधि) नियम, 1937;
- (ii) मजदूरी संदाय (रेलवे) नियम, 1938;

- (iii) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (iv) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956;
- (v) मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजनों को लागू करने के लिए नियत, 1962;
- (vi) मजदूरी संदाय (अतिरिक्त कटौतियों की वसूली का तरीका) नियम, 1966;
- (vii) मजदूरी संदाय (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1968;
- (viii) मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा कोष और रक्षा बचत योजना के लिए कटौतियों) नियम, 1972;
- (ix) बोनस संदाय नियम, 1975;
- (x) समान पारिश्रमिक नियम, 1976;
- (xi) अवितरित मजदूरी भुगतान (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1988;
- (xii) अवितरित मजदूरी (खान) नियम, 1989;
- (xiii) समान पारिश्रमिक नियम संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति 1991;
- (xiv) मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009;
- (xv) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011;
- (xvi) मजदूरी संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021; और
- (xvii) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन रजिस्टर रखने के सहज अनुपालन।

उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिकांश से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क. "अपील" से संहिता की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है।

ख. "अपीलीय प्राधिकारी" से संहिता की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

ग. "परिशिष्ट" से इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;

घ. "प्राधिकारी" से संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है।

ड. "बोर्ड" से वह केंद्रीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा संहिता की धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन किया गया है;

च. "अध्यक्ष" से बोर्ड अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- छ. "संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;
- ज. "समिति" से धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
- झ. "दिन" से मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाले 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- ञ. "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" संहिता के प्रयोजनों के लिए, ईमेल द्वारा प्रस्तुत की गई, या निर्दिष्ट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट पर रखी गई या प्रदर्शित की गई, या किसी भी माध्यम से किया गया डिजिटल भुगतान संबंधी कोई भी जानकारी अभिप्रेत है;
- ट. "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- ठ. "भौगोलिक क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।
- ड. "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करें;
- ढ. "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से संहिता की धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन, अधिसूचना के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- ण. "सदस्य" से बोर्ड सदस्य से अभिप्रेत है;
- त. "मजदूरी की सामान्य दर" संहिता की धारा 2(म) के अधीन यथा-परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है;
- थ. "पंजीकृत ट्रेड यूनियन से वह ट्रेड यूनियन अभिप्रेत है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन पंजीकृत है;
- द. "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;
- ध. "अर्ध कुशल व्यवसाय से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जाँब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;
- न. "कुशल व्यवसाय" वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जाँब पर अनुभव के द्वारा या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता की जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;
- प. "अकुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता में हैं।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति – (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अलग से निर्दिष्ट करेगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी और भत्ते निर्धारित नहीं करेगी।

(2) जहाँ एक दिन की मजदूरी की दर तय होती है, वहाँ प्रति घंटे की मजदूरी की दर तय करने के लिए उस राशि को आठ से भाग दिया जाएगा और प्रति माह की मजदूरी की दर तय करने के लिए उसे छब्बीस से गुणा किया जाएगा; और ऐसे भाग और गुणा में, आधे या आधे से ज़्यादा के अंशों को अगली पूरी संख्या के रूप में माना जाएगा, और आधे से कम के अंशों को छोड़ दिया जाएगा।

(3) यदि कार्य-सप्ताह छह दिनों से कम का हो, तो इस प्रकार गणना की गई न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटा दर का उपयोग, उस दिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

4. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते में संशोधन के लिए समय-अंतराल - निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्टूबर से पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जाएगी।

5. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या - (1) ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार पर है, सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा और विश्राम का अंतराल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताए अनुसार होगा।

(2) ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार के अतिरिक्त है, सामान्य कार्य दिवस के घंटों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रति सप्ताह कार्य के कुल घंटे अड़तालीस घंटे से अधिक न हों।

6. विश्राम का साप्ताहिक दिन— (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी को हर हफ्ते एक दिन का आराम दिया जाएगा (जिसे इसके पश्चात् “आराम का दिन” कहा जाएगा)। अगर हफ्ते में छह दिन काम होता है, तो आम तौर पर रविवार को आराम का दिन होगा; और अगर हफ्ते में छह दिन से कम काम होता है, तो आराम के दिनों में शनिवार और रविवार सम्मिलित होंगे। हालाँकि, नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए हफ्ते का कोई भी दूसरा दिन आराम के दिन के तौर पर तय कर सकता है:

परंतु कि छह दिन के कार्य सप्ताह में या छह दिनों से कम के कार्य सप्ताह जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारियों के लिए सप्ताह के शेष दिनों का भुगतान किया जाएगा।

परंतु यह कि, कोई कर्मचारी इस उप-नियम के अधीन विश्राम के दिनों का हकदार तब होगा, यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन काम किया हो—छह-दिवसीय कार्य सप्ताह के मामले में लगातार कम से कम छह दिनों तक; और छह-दिवसीय कार्य सप्ताह से कम वाले मामले में, निर्धारित कार्य दिवसों की लगातार अवधि तक (जैसा भी मामला हो):

परंतु यह भी कि कर्मचारी को आराम के दिनों के रूप में तय किए गए दिनों के बारे में, और आराम के दिनों में किसी भी पश्चात् के बदलाव के बारे में—बदलाव लागू होने से पहले ही—सूचित किया जाएगा; यह सूचना कार्यस्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस लगाकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सप्ताह में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि या कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,

(क) कोई भी दिन जिस पर एक कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और उसे काम प्रदान नहीं किया जाता है,

- (ख) ऐसा कोई भी दिन जिस दिन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन मुआवजे के भुगतान पर किसी कर्मचारी का ले-ऑफ किया गया हो, और;
- (ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, विश्राम दिनों से ठीक पहले मजदूरी के साथ या बिना मजदूरी के दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश,

(2) किसी भी कर्मचारी से उसके विश्राम दिवस पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, और न ही उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी; सिवाय इसके कि उसे उस विश्राम दिवस से ठीक पहले या पश्चात् के सप्ताह के किसी एक कार्य दिवस पर, उसके बदले में कोई अन्य विश्राम दिवस प्रदान किया गया हो।

परंतु कि कोई भी ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को बिना किसी विश्राम दिवस के लगातार दस दिनों से अधिक काम करना पड़े।

(3) जहाँ कोई कर्मचारी किसी विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे उस विश्राम दिवस से पहले या उसके पश्चात् किसी कार्य दिवस पर एक प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो साप्ताहिक कार्य घंटों की गणना के प्रयोजनों के लिए, उस विश्राम दिवस को उस सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें वह प्रतिस्थापित विश्राम दिवस आता है।

(4) किसी कर्मचारी को विश्राम के दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर लागू दर के आधार पर गणना की गई मजदूरी प्रदान की जाएगी; जहाँ वह विश्राम दिवस पर कार्य करता है और उसे एक वैकल्पिक विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था, ओवरटाइम की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और वैकल्पिक विश्राम दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

परंतु कि छह दिन के सप्ताह के मामले में जहां-

- (i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; या
- (ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी, तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और
- (iii) यदि कर्मचारी अपने विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे उसके बदले कोई अन्य विश्राम दिवस दिया गया है, तो कर्मचारी को केवल उस विश्राम दिवस के लिए, जिस पर उसने काम किया है, ओवरटाइम दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा; यह राशि मजदूरी की सामान्य दर के दोगुने से कम नहीं होगी।

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रावधानों के उपबंधों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय), इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेंगे।

परंतु यह कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब उस विश्राम दिन के लिए जिसके लिए वह कार्य करता है, मजदूरी समयोपरि दर से प्राप्त करेगा और प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी पूर्ववर्ती कार्य दिवस की दर से प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में 'पूर्ववर्ती कार्य दिवस' से वह अंतिम दिन अभिप्रेत है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब पूर्ववर्ती कार्य दिवस से वह अंतिम दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के उपबंध अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य पद्धति के अधीन या किसी पंचाट, अनुबंध या सेवा की संविदा की शर्त के अधीन हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि अभिप्रेत है।

7. रात्रि पाली— जहां पर कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध रात्रि के पश्चात भी चलती है, तब,
-

- (i) नियम 6 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है; और
- (ii) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के पश्चात् के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

8. कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कार्य समय और कार्य अवधि के फैलाव की सीमा और शर्तें - धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए कार्य के घंटों की संख्या, नियम 5 में विनिर्दिष्ट सामान्य कार्य घंटों से अधिक हो सकती है।

परंतु यह कि कर्मचारियों की इन निश्चित श्रेणियों का ओवरटाइम संहिता की धारा 14 के अनुसार होगा।

9. लम्बी मजदूरी अवधि - धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय 3

निम्नतम मजदूरी

10. निम्नतम मजदूरी करने की पद्धति - (1) निम्नतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य किसी भी कारक सहित, भोजन, वस्त्र, आवास और न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड से परामर्श कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किया गया परामर्श, आगे के परामर्श और उनकी टिप्पणियों के लिए, सभी राज्य सरकारों को प्रसारित किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट बोर्ड के परामर्श और प्राप्त राज्य सरकारों के विचारों पर, उप-नियम (1) के अधीन **निम्नतम** मजदूरी निर्धारित करने से पूर्व विचार किया जा सकता है।

(4) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित **निम्नतम** मजदूरी का, सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक न होने वाले अंतराल पर पुनरीक्षण कर सकती है और जीवन-यापन की लागत में भिन्नताओं के लिए, बोर्ड और राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर समायोजन कर सकती है।

अध्याय 4

मजदूरी का भुगतान

11. संविदात्मक कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान – जहाँ किसी स्थापन में कर्मचारी किसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं, वहाँ उस स्थापन का नियोक्ता चाहे वह कंपनी, फर्म, संघ या कोई अन्य व्यक्ति हो, संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के मजदूरी के संबंध में देय राशि ठेकेदार को संदत्त करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'फर्म' शब्द का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में निर्दिष्ट किया गया है।

12. सामान्य कार्य-दिवस से कम के लिए मजदूरी का भुगतान - कोई कर्मचारी, धारा 10 के अधीन पूर्ण सामान्य कार्य-दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, यदि वह नियोजन की शर्तों के अनुसार अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए सहमत हुआ हो या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य श्रम पद्धति के अधीन ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार न हो।

13. कटौतियों की वसूली - धारा 18 की उप-धारा (4) के अनुसार, जहाँ धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकृत कुल कटौतियाँ किसी कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हो जाती हैं, वहाँ अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जाएगा और आगामी मजदूरी अवधि की मजदूरी से किश्तों में वसूल किया जाएगा, इस प्रकार कि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

14. जुर्माना अधिरोपित करने के लिए कृत्यों और उपेक्षाओं के अनुमोदन के लिए प्राधिकारी - संबंधित कर्मचारी के कार्यस्थल के स्थान पर अधिकारिता रखने वाला उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी होगा।

15. कृत्यों और उपेक्षाओं को निर्धारित करने वाली सूचना के प्रदर्शित करने की पद्धति - धारा 19 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना, भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा में, उस कार्यस्थल परिसर के दृष्टिगोचर स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें नियोजन संचालित किया जाता है और उक्त सूचना की एक प्रति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को भेजी जाएगी।

16. जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया - (1) धारा 19 की उप-धारा (3) के अनुसार, नियोक्ता संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्यों और उपेक्षाओं का विवरण निर्दिष्ट होगा, जो जुर्माना अधिरोपित किए जाने का औचित्य सिद्ध करते हैं, और कारण दर्शाने के लिए सात दिनों के भीतर का अवसर दिया जाएगा।

(2) आरोप स्थापित होने पर, दोषी कर्मचारी पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

(3) जहाँ निर्धारित अवधि के भीतर कर्मचारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहाँ जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और ऐसे जुर्माना अधिरोपण की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

17. कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती की सूचना - (1) जब कोई नियोक्ता, धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में, कोई कटौती करने का आशय रखता है, तब वह संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में ऐसी कटौती करने के अपने आशय के संबंध में सूचित करेगा और सात दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने का अवसर देगा, और आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

(2) यदि संबंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

18. क्षति या हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया - (1) कोई नियोक्ता, जो धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मजदूरी से क्षति या हानि के लिए कटौती करने का आशय रखता है, कर्मचारी को सात दिनों की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिसमें कर्मचारी को सौंपे गए माल की क्षति या हानि के मूल्य के संबंध में कारण दर्शाना होगा।

(2) आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

(3) यदि संबंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता संबंधित कर्मचारी की मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

19. अग्रिम की वसूली के संबंध में शर्तें:- वसूली -

(i) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन, नियोजन प्रारंभ होने के पश्चात किसी कर्मचारी को दी गई धनराशि के अग्रिम; या

(ii) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन, किसी कर्मचारी को अभी अर्जित न किए गए मजदूरी के अग्रिम,

जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा संबंधित कर्मचारी की मजदूरी से, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में इस प्रकार वसूले जाएंगे कि किसी मजदूरी अवधि में कोई एक या सभी किश्तें मिलाकर, कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हों, परन्तु कि उस मजदूरी अवधि में नियम 13 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन हों, और ऐसी वसूली का विवरण प्ररूप-4 में संधारित रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

20. ऋण की वसूली के लिए कटौती:- धारा 24 के अनुसार, दिए गए ऋणों की वसूली तथा उस पर देय ब्याज के संबंध में कटौतियाँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रचलित निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होंगी, जो इस बात को विनियमित करते हैं कि ऐसे ऋण किस सीमा तक दिए जा सकते हैं और उन पर देय ब्याज की दर क्या होगी।

अध्याय 5**बोनस का भुगतान**

21. संविदात्मक कर्मचारियों को बोनस का भुगतान- जहां किसी स्थापन में कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है और ठेकेदार धारा 26 के अधीन देय बोनस का भुगतान करने में विफल रहता है, वहां धारा 43 के परंतुक में उल्लिखित कंपनी, फर्म, संघ या अन्य व्यक्ति, कर्मचारियों या उनके किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या संघों द्वारा दी गई लिखित सूचना पर तथा उक्त विफलता की पुष्टि होने पर, कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

22. छठे लेखा वर्ष के लिए गणना:- छठे लेखा वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, सेट-ऑन या सेट-ऑफ, धारा 26 की उप-धारा (7) के खंड (i) के अधीन, परिशिष्ट क में दर्शाए गए रीति से किया जाएगा, जिसमें पाँचवें और छठे लेखा वर्षों के संबंध में सेट-ऑन या सेट-ऑफ किए गए आवंटनीय अधिशेष के, जैसा भी मामला हो, अधिकता या कमी को ध्यान में रखा जाएगा।

23. सातवें लेखा वर्ष के लिए गणना:- सातवें लेखा वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, सेट-ऑन या सेट-ऑफ, धारा 26 की उप-धारा (7) के खंड (ii) के अधीन, परिशिष्ट क में दर्शाए गए रीति से किया जाएगा, जिसमें पाँचवें, छठे और सातवें लेखा वर्षों के संबंध में सेट-ऑन या सेट-ऑफ किए गए आवंटनीय अधिशेष के, जैसा भी मामला हो, अधिकता या कमी को ध्यान में रखा जाएगा।

24. बैंकिंग कंपनी के लिए सकल लाभ की गणना:- लेखा वर्ष के संबंध में किसी प्रतिष्ठान से नियोक्ता द्वारा अर्जित सकल लाभ, बैंकिंग कंपनी के मामले में, धारा 32 के खंड (क) के अधीन, परिशिष्ट ख में निर्धारित रीति से गणना किया जाएगा।

25. बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त अन्य के लिए सकल लाभ की गणना:- लेखा वर्ष के संबंध में किसी प्रतिष्ठान से नियोक्ता द्वारा अर्जित सकल लाभ, बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त अन्य मामलों में, धारा 32 के खंड (ख) के अधीन, परिशिष्ट ग में निर्धारित रीति से गणना किया जाएगा।

26. सकल लाभ से अतिरिक्त राशियों की कटौती:- परिशिष्ट घ में नियोक्ता के संबंध में निर्धारित अतिरिक्त राशियाँ, धारा 34 के खंड (ग) के अधीन पूर्व प्रभारों के रूप में, सकल लाभ से घटाई जाएँगी।

27. जब आवंटनीय अधिशेष अधिकतम देय बोनस से अधिक हो तो अग्रेषण की रीति:- धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन, जहाँ किसी लेखा वर्ष के लिए, आवंटनीय अधिशेष, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक होता है, तब ऐसी अधिकता, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल मजदूरी या मजदूरी के बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए, आगामी लेखा वर्ष में सेट-ऑन के लिए अग्रेषित की जाएगी और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जारी रहेगी, जिससे बोनस के भुगतान के प्रयोजन के लिए परिशिष्ट क में दर्शायी गई रीति से उपयोग किया जा सके।

28. जब न्यूनतम बोनस के भुगतान के लिए कोई आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध न हो, तब अग्रेषण की रीति:- धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन, जहाँ किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलब्ध अधिशेष नहीं है या उस वर्ष के संबंध में आवंटनीय अधिशेष, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस की राशि से कम है, और नियम 27 के अधीन अग्रेषित और सेट-ऑन की गई कोई राशि या पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सके, तब यथास्थिति ऐसी न्यूनतम राशि या कमी, आगामी लेखा

वर्ष में सेट-ऑफ के लिए अग्रेषित की जाएगी और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जारी रहेगी, जैसा कि परिशिष्ट क में दर्शाया गया है।

अध्याय 6

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

क. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया

29. बोर्ड का गठन:- बोर्ड का गठन धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

30. बोर्ड की बैठक:- अध्यक्ष, नियम 32 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी समय, जब वह उपयुक्त समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकेगा :

परन्तु यह कि सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित मांग पर अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा।

31. बैठकों की सूचना:- अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की दिनांक, समय और स्थान निर्धारित करेगा और उक्त विवरणों सहित तथा बैठक में किए जाने वाले कार्यों की सूची सहित लिखित सूचना, त्वरित डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक की नियत दिनांक से कम-से-कम पंद्रह दिन पूर्व भेजी जाएगी:

परन्तु यह कि आपात बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन पूर्व सूचना दी जा सकेगी।

32. अध्यक्ष के कार्य:- अध्यक्ष —

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने मध्य से बहुमत से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे, जो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(ii) प्रत्येक बैठक की कार्यसूची निर्धारित करेगा;

(iii) जहाँ बोर्ड की बैठक में किसी विषय का निर्णय मतदान द्वारा किया जाना हो, वहाँ मतदान का संचालन करेगा और बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा या करवाएगा;

(iv) ऐसे अन्य कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।

33. गणपूर्ति:- किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि कम-से-कम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों में से प्रत्येक का कम-से-कम एक-एक प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित न हो:

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक-तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हों, तो अध्यक्ष बैठक को मूल बैठक की दिनांक से सात दिनों के भीतर की किसी दिनांक तक स्थगित कर सकेगी और तत्पश्चात ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना कार्य का निपटान करना पद्धति सम्मत होगा:

परन्तु यह भी कि ऐसी स्थगित बैठक की दिनांक, समय और स्थान की सूचना सदस्यों को दी जाएगी।

34. बोर्ड के कार्यों का निपटान:- बोर्ड के सभी कार्य, बोर्ड की बैठक में विचारित किए जाएँगे और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिए जाएँगे और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा:

परंतु यह कि अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेगा कि किसी विषय का निर्णय आवश्यक कागजातों को परिचारित करके और सदस्यों की लिखित राय प्राप्त करके किया जाए:

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती उपबंध के अधीन किसी विषय पर कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित न हो।

35. मतदान की पद्धति :- बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा, परंतु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है या अध्यक्ष ऐसा निर्णय करता है, तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा।

36. बैठकों की कार्यवाही:- (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही, जिसमें अन्य बातों के साथ उपस्थित सदस्यों के नाम भी होंगे, प्रत्येक सदस्य तथा केन्द्रीय सरकार को, यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में अगली बैठक से कम-से-कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही, अगली बैठक में, आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों सहित, पुष्टि की जाएगी।

37. साक्षियों को बुलाना और दस्तावेज प्रस्तुत करना:- (1) अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आवश्यक होने पर, किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा और किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया गया है और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होता है, वह उस समय के लिए प्रवृत्त दरों के अनुसार, जो सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्षियों को देय हैं, व्यय भत्ते का हकदार होगा।

ख. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

38. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि :- (1) अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि, नियुक्ति या नामनिर्दिष्ट करने की दिनांक से तीन वर्ष की होगी:

परंतु यह कि उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी, अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उनके उत्तरवर्ती की नियुक्ति या नामांकन नहीं हो जाता।

(2) बोर्ड का कोई स्वतंत्र सदस्य, जिसे आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है, या जब तक नियमित पदाधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक, जो भी पहले हो।

(3) बोर्ड के किसी शासकीय सदस्य, तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि उन्हें उनके स्थान पर अन्य किसी शासकीय सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

39. यात्रा भत्ता:- (1) बोर्ड के किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता, उनके लिए आधिकारिक कर्तव्यों पर की गई यात्रा के लिए लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा और उनका वेतन देने वाला प्राधिकारी ही उसका भुगतान करेगा।

(2) बोर्ड के गैर-किसी शासकीय सदस्यों को, बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए शासकीय सदस्य से नियमित सरकारी अधिकारी जो बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस हैसियत से स्थानापन्न है, अभिप्रेत हैं और “गैर-शासकीय सदस्य” वे होंगे जो “शासकीय सदस्य” नहीं हैं।

40. अधिकारी और कर्मचारी:- केंद्र सरकार बोर्ड के सुचारू कामकाज के लिए ऐसा आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

41. पुनः नामांकन की पात्रता:- कोई निवर्तमान सदस्य, बोर्ड की सदस्यता के लिए अधिकतम दो कार्यकालों तक पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।

42. अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों का त्यागपत्र:- (1) अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा है और अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना की दिनांक से या त्यागपत्र की दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, से त्यागपत्र प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष तत्काल केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाएगी।

43 सदस्यता की समाप्ति:- यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो वह उसका सदस्य नहीं रहेगा।

44. निर्हरता:- (1) किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य रूप में नामित होने और सदस्य होने के लिए निर्हरित घोषित किया जाएगा

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया जाता है; या

(ii) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि संहिता के प्रारंभ से पहले या पश्चात् में, वह नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया है।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि उप-नियम (1) के अधीन निर्हरता हुई है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 7

बकाया का भुगतान, दावे, आदि।

45. कर्मचारी की मृत्यु होने पर नामनिर्देशिती को असंवितरित देय राशि का भुगतान:- (1) (क) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, प्रत्येक कर्मचारी प्ररूप 7 में भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेगा, जिसमें उस व्यक्ति को नामित किया जाएगा जो उस राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है जो मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा है, जहां ऐसे कर्मचारी की जमा राशि भुगतान किए जाने से पहले देय हो गई है।

(ख) यदि नामित करते समय कर्मचारी का अपना परिवार है तो यह नामांकन उसके पति पत्नी या उसके पति/पत्नी को अधिमान देते हुए उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा;

परन्तु कि अपने परिवार के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिवार रखने वाले कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन अमान्य होगा;

परन्तु यह और कि कर्मचारी द्वारा विवाह के पश्चात् अपने पति/पत्नी के लिए नया नामांकन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किए गए किसी नामांकन को अमान्य समझा जाएगा।

(ग) जिस मामले में नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में पूर्णतः या अंशतः किया जाता है उसमें कर्मचारी अपने परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो उस अवयस्क नामिति का अभिभावक होगा या जहां परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो वह अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामिति का अभिभावक नियुक्त कर सकेगा।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्य को नामित करता है तो वह नामांकन में अपने विवेकानुसार प्रत्येक नामित व्यक्तियों को देय राशि या हिस्से का उल्लेख करेगा ताकि उसकी संपूर्ण जमापूंजी की राशि का भुगतान किया जा सके।

(2) जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु या कर्मचारी का ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की दिनांक के दो मास के अंदर कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

46. कर्मचारी की मृत्यु होने पर असंवितरित बकाया जमा करना:- (1) जहाँ धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण या अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की दिनांक से छह मास की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह मास की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-खंड (1) के अधीन जमा की जाने वाली रकम नियोक्ता द्वारा ऐसे उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास बैंक अंतरण या भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

47. असंवितरित जमा राशि के निपटान की रीति:- (1) नियम 46 के उप-नियम (1) में असंवितरित रकम (जिसे इस नियम में इसके पश्चात रकम कहा गया है) संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा रकम उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित या किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) यथा संभव शीघ्र रकम से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) प्रयाप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रकाशित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित किए गए थे, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में और कर्मचारी के स्थायी निवास क्षेत्र में स्थानीय भाषा के दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्याधीन, संबंधित उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नामिति या उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, तथा जिसके पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

- (4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्देशित किया जाएगा।

अध्याय 8

प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

48. विवरणियां- विवरणियां, किसी स्थापन जिसे यह संहिता लागू होती है, के प्रत्येक नियोक्ता द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन प्ररूपों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारण की जाएगी।

49. दावे दाखिल करने के लिए प्ररूप और प्रक्रिया:- (1) एक ही स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों की किसी भी संख्या या समूह की ओर से या उनके संबंध में एक एकल आवेदन, जिसमें उनके दावे एक ही मजदूरी अवधि या भेदभाव की एक ही घटना से संबंधित हैं, संहिता के उपबंधों के अधीन उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने और निर्धारित करने के लिए धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष उक्त प्ररूप में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्ररूप 2 में, मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन दायर किया जा सकेगा।

(2) जहां उपनियम (i) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां प्राधिकारी नियोक्ता को प्ररूप 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह इस नोटिस में निर्धारित तारीख को सभी संबंधित दस्तावेजों और साक्षियों यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो और निर्धारित की गई तारीख की सूचना आवेदक को देगा।

(3) नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होने की दशा में प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई कर सकेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय दे सकेगा।

(4) उस मामले में जहाँ आवेदक या उनका प्रतिनिधि पहले से कोई उचित कारण बताए बिना विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है।

50. अपील दायर करने की प्रक्रिया: - (1) धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप 3 में अपीलार्थी द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्ररूप में संबंधित अधिकारिता वाले अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा अपील कर सकेगा।

परंतु किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी के पास दावा की गई राशि जमा नहीं करता है।

(2) जहां धारा 49 की उप धारा (1) के अधीन किसी अपील पर विचार किया जाता है वहां अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा प्ररूप 8 में नोटिस देगा कि वह उनके समक्ष नोटिस में निर्धारित तारीख को उपस्थित हो और इस प्रकार निर्धारित तारीख के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करेगा।

(3) जहां आवेदक या उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहां प्राधिकारी एकपक्षीय सुनवाई और आवेदन पर निर्णय ले सकेगा।

(4) जहां आवेदक या उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहां प्राधिकारी अपील को निरस्त कर सकेगा।

51. रजिस्टर आदि का प्ररूप—(1) सभी निर्धारित स्थापनों का नियोक्ता, जिन पर संहिता लागू होती है, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में इन नियमों में संलग्न प्ररूपों में निम्नलिखित रजिस्टर बनाए रखेगा:

- i) प्ररूप 1 में कर्मचारी रजिस्टर,
- ii) प्ररूप 4 में क्षति और हानि के लिए मजदूरी, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और कटौती का रजिस्टर, तथा
- iii) प्ररूप 9 में उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल।

(2) धारा 19 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी सभी प्राप्तियां नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्ररूप 4 में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी, और उप-धारा (8) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, संदर्भित अधिकारिता वाला उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) होगा।

(3) धारा 21 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियों और सभी प्राप्तियों को नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्ररूप 4 में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अधीन बनाए रजिस्ट्रों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

52. मजदूरी पर्ची - प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी के भुगतान के समय या उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्ररूप 5 में अपने कर्मचरियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप से मजदूरी पर्ची जारी करेगा।

53. जांच कराने की रीति—(1) जहां कोई शिकायत धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष (जिसे इस नियम में इसके पश्चात अधिकारी कहा गया है) उक्त उप-धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी या व्यथित कर्मचारी या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन पंजीकृत किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकारी का मत है कि अपराध कारित किया गया है, तो यह अपराधी को उपस्थित होने के लिए तारीख नियत करते हुए शिकायत में निर्धारित पते पर समन जारी करेगा।

(2) यदि अपराधी जिसे उप-नियम (1) के अधीन समन जारी किया गया है, उपस्थित होता है या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए साक्ष्यों से प्रति परीक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगा।

(3) यह अधिकारी साक्ष्यों के शपथ पर लिखित में कथन और प्रतिपरीक्षा को दर्ज करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख में लेगा।

(4) अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अवसर देगा और दोषी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाएगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख में लिया जाएगा।

(5) अधिकारी, पक्षकारों को सुनने और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

54. अपराधों के प्रशमन की रीति – (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्ररूप 6 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से आवेदन पर कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अधीन शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमन योग्य है तथा अभियुक्त व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध का शमन कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी प्रशमन आदेश के 30 दिनों के भीतर अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) शमन अधिकारी प्ररूप 6 के भाग-ख में प्रशमन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रशमन प्रमाण पत्र जारी करेगा, कि प्रशमन नोटिस की अनुपालना में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।

(4) यदि इस प्रकार अधिसूचित कोई व्यक्ति शमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन, सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उन अपराधों के संबंध में आरम्भ किया जाएगा जिनके संबंध में शमन नोटिस जारी किया गया था।

(5) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात उप-नियम (2) के अधीन अपराध शमन हो गया है वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अधीन कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा।

प्ररूप I	
(नियम 51 के उप-नियम (1) का खंड (i) देखें)	
कर्मचारी रजिस्टर	
स्थापन का नाम	
नियोक्ता का नाम	
स्वामी का नाम	
नियोक्ता का पैन/टैन	
स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या (श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) ही स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी)	
1. कर्मचारी कोड	
2. नाम	
3. उपनाम	
4. लिंग	
5. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
6. जन्म तिथि	
7. जन्म स्थान	

8.	राष्ट्रीयता	
9.	शिक्षा का स्तर	
10.	पदभार ग्रहण करने की तारीख	
11.	पदनाम	
12.	श्रेणी (एचएस/एस/एसएस/यूएस)*	
13.	रोजगार का प्रकार (पी/टी/एफटी/बी)**	
14.	तैनाती का विवरण	
15.	मजदूरी	
16.	पदोन्नति	
17.	मोबाइल नंबर	
18.	यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन)	
19.	पैन	
20.	नामित व्यक्ति (नामांकन प्ररूप के आधार पर भरा जाना है)	
21.	परिवार का विवरण	
22.	ईपीएस/एनपीएस	
23.	ईएसआईसी आईपी संख्या	
24.	आधार संख्या	
25.	बैंक खाता संख्या	
26.	बैंक	
27.	शाखा (आईएफएससी)	
28.	वर्तमान पता	
29.	स्थायी पता	
30.	सेवा पुस्तिका संख्या	
31.	सेवा छोड़ने की तारीख	
32.	सेवा छोड़ने का कारण	
33.	पहचान चिह्न	
34.	फोटो	
35.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	

36.	टिप्पणियां	
-----	------------	--

* (अत्यधिक कुशल/कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल)

** (स्थायी/अस्थायी/निश्चित अवधि/प्रशिक्षु/बदली)

प्ररूप -2

[नियम 49 के उप-नियम (1) देखें]

[धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन]

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उपधारा (1)
के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

.....के लिए क्षेत्र

आवेदन संख्या..... का 20

एबीसी और (संख्या).....अन्य आवेदक के
बीच

(संबंधित कर्मचारियों या पंजीकृत व्यवसाय संघ या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के
माध्यम से) पता.....

और
एक्स वाई

जेड.....

पता.....

आवेदन में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं:

(1) जिन आवेदक (आवेदकों) के नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, वे _____ से _____ तक
_____ (श्रेणी) के रूप में मैमर्स _____ (स्थापना) श्री/श्रीमती _____ में कार्यरत थे/हैं, जो
_____ (कार्य का प्रकार) में संलग्न है, और जो मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन आता है।

(2) विरोधकर्ता मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2(I) के अर्थ में नियोक्ता है/हैं।

(3) (क) आवेदक (आवेदकों) को संहिता के अधीन उनके रोजगार की श्रेणी (श्रेणियों) के लिए निर्धारित न्यूनतम
मजदूरी दरों से कम मजदूरी दिया गया है, जो की रूपए _____ प्रतिदिन की दर से _____ से
_____ अवधि के लिए दिया गया है।

(ख) आवेदक (आवेदकों) को साप्ताहिक अवकाश के दिनों के लिए रूपए _____ प्रति दिन की दर से
_____ से _____ तक मजदूरी नहीं दिया गया है।

(ग) आवेदक (आवेदकों) को _____ से _____ तक की अवधि के लिए अतिकालिक दर (दरों) पर मजदूरी नहीं दिया गया है।

(घ) आवेदक (आवेदकों) कोसे..... की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) इस आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार, आवेदक(आवेदकों) के मजदूरी से ऐसी कटौतियाँ की गई हैं जो संहिता के विरुद्ध है।

(च) आवेदकों को लेखा वर्ष _____ के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक द्वारा मांगा गया अनुतोष की प्रत्येक रकम के संबंध में निम्नानुसार का अनुमानित की गई हैं

(क)रुपए _____

(ख)रुपए _____

(ग) रुपए _____

कुल रुपए _____

(5) अतः आवेदक प्रार्थना करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए:

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान किए गए मजदूरी के बीच के अंतर का भुगतान,

(ख) विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान

(ग) अतिकालिक की दरों पर मजदूरी का भुगतान

(घ) _____ रुपए का प्रतिकर

(6) आवेदक एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित तथ्य उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

तारीख : _____

नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) या सम्यक प्राधिकृत पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी या
निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता
के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण : आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ विवरण युक्त अनुलग्नक संलग्न कर सकते हैं।

प्ररूप 3

(नियम 50 के उपनियम (1) देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49(1) के अधीन अपील,
मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

ए.बी.सी.

पता.....

..... अपीलकर्ता

बनाम

सी.डी.ई.

पता.....

..... प्रतिवादी

अपील का विवरण:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:

संख्या और तारीख : _____

वह प्राधिकारी जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश किया गया है _____

अधिनिर्णीत रकम : _____

यदि कोई मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया हो : _____

2. मामले के तथ्य:

(यहां तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण कालानुक्रमिक क्रम में दें, जिसमें प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग मुद्दा या तथ्य सम्मिलित हो)।

3. अपील के आधार:

4. वे मामले जो पहले किसी अन्य न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल या लंबित नहीं हैं: अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस अपील से संबंधित मामले के संबंध में पहले किसी न्यायालय, अन्य किसी अधिकारी प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा फाइल नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा इनमें से किसी के समक्ष लंबित है।

5. मांगा गया अनुतोष:

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना करता है:—
[मांगी गई राहत स्पष्ट रूप से लिखें]

6. संलग्नों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

.....

तारीख: _____

स्थान: _____

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु:

फाइल करने की तारीख

या

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख: _____

रजिस्ट्रीकरण संख्या: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप-4	
(नियम 51 के उप नियम-(i) के खंड (ii) को देखें)	
मजदूरी, अतिकालिक, अग्रिम, जुर्माना तथा नुकसानी और हानि हेतु कटौती का रजिस्टर	
स्थापन का नाम	
नियोक्ता का नाम	
मालिक का नाम	
नियोक्ता का पैर/टैन	

स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या (श्रम पहचान संख्या (एल आई एन) स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी)											
क्रम. सं.	कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या / कर्मचारी कोड	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि मसिकी / पाक्षिक/ साप्ताहिक /दैनिक /कार्य अवधि के आधार पर	मजदूरी अवधि (से- तक)	मजदूरी अवधि में कार्य किए गए कुल दिन	कुल अतिकालिक घंटे या (पीस कर्मचारों के मामले में) अतिकालिक उत्पादन	मजदूरी दर		
									मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	भत्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

अर्जित मजदूरी की रकम					कटौतियां										शुद्ध भुगतान
मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	भत्ते	अतिकालिक	कुल अर्जित मजदूरी	ईपीए फ	ईएसआई सी	सोसाय टी	आयकर	बी मा	अग्रिम रकम	जुर्माने की वसूली	क्षति/हानि की वसूली	कुल कटौतियाँ	अन्य	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

भुगतान की तारीख	कर्मचारी द्वारा रसीद/बैंक संव्यहार आईडी	जिन कृत्यों और चूकों के लिए जुर्माना लगाया गया है, उनका प्रकृति और तारीख का उल्लेख करें।	लगाए गए जुर्माने की रकम	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक के कारण नियोक्ता को हुई क्षति या हानि	नियोक्ता/नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर *
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

*टिप्पण: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखरखाव किया जाना आवश्यक है।

प्ररूप 5 (नियम 52 देखें)	
मजदूरी पर्ची	
जारी करने की तारीख	
स्थापना का नाम	
पता	

अवधि		
1.	कर्मचारी का नाम	
2.	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
3.	पदनाम	
4.	यूएएन	
5.	बैंक खाता संख्या	
6.	मजदूरी अवधि	
7.	देय मजदूरी दर	
	क. मूल मजदूरी	
	ख. महंगाई भत्ता	
	ग. भत्ते	
8.	कुल उपस्थिति/किए गए कार्य कि मात्रा	
9.	अतिकालिक मजदूरी	
10.	देय सकल मजदूरी	
	क. पीएफ	
	ख. ईएसआई	
	ग. अन्य	
12.	शुद्ध मजदूरी का भुगतान	
*नियोक्ता / भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर		

*टिप्पण : रजिस्टर को भौतिक रूप से रखने के मामले में यह आवश्यक है।

प्ररूप 6

भाग – क

[नियम 54 के उपनियम (1) देखें]

अपराध के शमन के लिए धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. पिता/पति/पत्नी का नाम:
3. आवेदक का पता:
4. अपराध का विवरण:

.....

5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है:

.....

6. संहिता के अधीन अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना:

.....

7. क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोग लंबित है या नहीं?

.....

8. क्या यह पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है? यदि हां, तो पूर्व अपराध का पूरा विवरण दें।

.....

9. आवेदक द्वारा दी जाने वाली कोई अन्य जानकारी

.....

आवेदक
(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

भाग – ख
[नियम 54 (3) देखें]

शमन प्रमाणपत्र

संदर्भ: सूचना संख्या.....

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 54 की उपधारा के अधीन वह अपराध जिसके संबंध में श्री..... (आवेदक), (संस्थान का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या) के नियोक्ता को तारीख _____ को नोटिस संख्या जारी की गई थी, उक्त नोटिस के संतोषजनक अनुपालन में अपराधों के निपटारे के लिए रु. (रुपए) _____ की पूरी रकम जमा करने के कारण शमित कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)
अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

स्थान:

प्रति:

.....(नियोक्ता/स्थापना)

.....(नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

.....(पता)

प्ररूप-7

(नियम 45 के उपनियम (1) का खंड (क) देखें)

नामांकन प्ररूप

1. नामांकन करने वाले व्यक्ति का नाम:

(बड़े अक्षरों में):

2. पिता/पति/पत्नी का नाम:

3. जन्म की तारीख:

4. लिंग:

5. वैवाहिक स्थिति:

6. पता:

स्थायी :

अस्थायी:

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित करता/करती हूँ/मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन को रद्द करता/करती हूँ और नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता से मुझे देय कोई भी रकम उन्हें प्राप्त हो:-

नामनिर्देशिती व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	पता	नामनिर्देशिती व्यक्ति का कर्मचारी के साथ संबंध	जन्म की तारीख	प्रत्येक नामनिर्देशिती व्यक्ति को देय संचित रकम का कुल हिस्सा	यदि नामनिर्देशिती व्यक्ति नाबालिग है, तो अभिभावक का नाम, संबंध और पता, जो नामनिर्देशिती व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान रकम प्राप्त कर सकता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है और यदि भविष्य में मेरा परिवार बनता है, तो उपर्युक्त नामांकन रद्द माना जाएगा।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पिता/माता मुझ पर आश्रित हैं।

3. जो लागू न हो उसे काट दें।

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा और नामांकन पर मेरे समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया गया है, जो मेरे स्थापन में कार्यरत हैं। यह हस्ताक्षर उनके द्वारा प्रविष्टि/प्रविष्टियों को पढ़ने के पश्चात् या मेरे द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाए जाने और उनके द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात् किया गया है।

स्थान:

तारीख :

कारखाने/स्थापन का नाम और पता तथा उस पर लगी मुद्रा

कर्मचारी द्वारा पावती

मुझे मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्ररूप-8 में नामांकन की प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

तारीख :.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर:

प्ररूप-8

(नियम 46 का उप नियम (2) देखें)

(क) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी की जाने वाली सूचना का प्ररूप
(आवेदन का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

----- (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन मुझे उपर्युक्त आवेदन किया है, अतः आपको एतद्वारा मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन किया जाता है, तथा आवेदन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा या आपके द्वारा पूर्ण रूप से प्राधिकृत साथ आए किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने अपेक्षित हैं जो ----- 20 ---- के दिन -----

पूर्वाहन/अपराहन को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो या आवेदन में दावे का उत्तर देने में सक्षम होंगे क्योंकि उपस्थिति के लिए विनिर्दिष्ट दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत है, अतः आपको उस दिन अपने बचाव में सभी साक्षी जिनके साक्ष्य तथा सभी दस्तावेज जिन पर आप आश्रित हैं, को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊपर उल्लिखित दिन को आपकी अनुपस्थित व्यतिक्रम होने पर, आवेदन पर सुनवाई की जाएगी तथा आपकी अनुपस्थिति में ही निपटा दिया जाएगा।

तारीख -----

प्राधिकारी के मुद्रा के साथ हस्ताक्षर

(ख) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी की जाने वाली सूचना का प्ररूप (अपील का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

इस बात का संज्ञान लें कि मजदूरी संहिता 2019 की धारा 49 के अधीन एक अपील (जिसकी प्रति संलग्न है) यह अपील प्राधिकारी के समक्ष - ----- (अपील करने वाले का नाम) द्वारा प्रस्तुत की गई है, तथा अपील प्राधिकारी द्वारा इस अपील की सुनवाई के लिए - ----- 20 के ----- का ----- दिन --- ----- नियत किया गया है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या इस अपील में आपकी तरफ से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो आपकी अनुपस्थिति में इस अपील पर सुनवाई की जाएगी तथा विनिश्चय किया जाएगा।

तारीख -----

प्राधिकारी के मुद्रा के साथ हस्ताक्षर

प्ररूप 9					
(नियम 51 का उपनियम (1) का खंड-III देखें)					
उपस्थिति रजिस्टर सह-हाजिरी सूची					
स्थापन का नाम					
नियोक्ता का नाम					
स्वामी का नाम					
स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या (श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या)					
क्र. सं.	कर्मचारी कोड	नाम	पद	बदलाव	कार्यस्थल/अनुभाग/विभाग का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपस्थिति की तारीख और समय					
(7)					

ता री ख	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सम य	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना
ह स्ता क्षर											

तारीख	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समय	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना
हस्ता क्षर										

तारीख	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
समय	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना
हस्ता क्षर										

कुल कार्य दिन की संख्या	कुल ओवरटाइम घंटों की संख्या	यदि कार्यस्थल से बाहर कोई दौरा या कार्य सौंपा गया हो, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा	रजिस्टर धारक के हस्ताक्षर*
(8)	(9)	(10)	(11)

*टिप्पण: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह अपेक्षित है।

परिशिष्ट क
[नियम 22, 23, 27 और 28 देखें]

इस परिशिष्ट में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक मजदूरी या मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल रकम 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के हकदार (सभी कर्मचारियों के वार्षिक मजदूरी या मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की रकम 2,50,000 रुपये होगी।

वर्ष	बोनस के रूप में आबंटित किए जाने योग्य उपलब्ध अतिरिक्त रकम के, यथास्थिति, 60 प्रतिशत या 67 प्रतिशत के बराबर रकम	बोनस के रूप में देय रकम	वर्ष का अग्रणीत सैट-ऑन या सैट ऑफ	कुल अग्रणीत सैट—ऑन या सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	वर्ष (का)
1.	1,04,167	1,04,167**	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 30,000 को सम्मिलित करते हुए)	शून्य	सैटऑन 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	सैट ऑन 1,25,000	सैट ऑन 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 1,10,000 को सम्मिलित करते हुए))	शून्य	सैट ऑन 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	सैट ऑन 60,000	सैट ऑन शून्य + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (वर्ष-4 से 1,25,000 तथा वर्ष-6 से 25,000 को सम्मिलित करते हुए)	शून्य	सैट ऑन 35,000	(6)
8.	शून्य (हानि के कारण)	1,04,167**(वर्ष 6 से 35,000 को सम्मिलित करते हुए)	सैट ऑफ 69,167	सैट ऑफ 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167**(वर्ष-8 से 69,167 तथा वर्ष-9 से 41,666 के सैट-ऑफ के पश्चात्)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)

* अधिकतम.

+ वर्ष 2 के व्ययगत से 1,10,000 रुपये के सैट ऑन से से अतिशेष

** न्यूनतम

**परिशिष्ट ख
सकल लाभ की संगणना**

[नियम 24 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं.	विशिष्टियां	उप मदों की रकम	मुख्य मदों की रकम	टिप्पणियां
		रुपए	रुपए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	प्रायिक तथा आवश्यक उपबंध करने के पश्चात् लाभ और हानि लेखा में यथा प्रदर्शित निवल लाभ।			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबंधित रकम पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवक्षयण (ग) विकास रिबेट आरक्षिति (घ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का योग	रुपए.....		पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त बोनस। (ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के आधिक्य में संदत्त या संदेय उपदान के लिए विकलित रकम- (i) किसी अनुमोदित उपदान निधि के लिए संदत्त किए जाने के लिए उपबंधित रकम, यदि कोई है; और (ii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या किसी कारणवश उनका नियोजन समाप्त कर दि जाने पर उन्हें संदत्त वास्तविक रकम। (ग) आय कर के लिए अनुज्ञेय रकम के आधिक्य में संदाय। (घ) (वैज्ञानिक अनुसंधान पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जिसकी जिसकी कटौती प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञात है) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर आय कर हेतु अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है। (ङ.) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 34क की उपधारा (2)			पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें

	क अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई रकम। (च) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां या तत्संबंधी व्यय। मद संख्या 3 का व्यय			
		रुपए.....		
4.	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अभिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षित में प्रत्यक्ष रूप से जमा किए गए हैं - (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवक्षयण को अनुज्ञात नहीं किया गया है); (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां; (iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। मद संख्या 4 का सकल योग	रुपए.....		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का योग.....	रुपए.....		
6.	कटौती:- (क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन अस्तियों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है)। (ख) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां। (ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। (घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षित में से प्रत्यक्ष रूप से विकलित की गई हैं- (i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है); (ii) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां। (ड.) विदेशी बैंककारी कंपनियों की दशा में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय कारबार के हिस्से में आना चाहिए। (च) पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी अधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्ष के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी यदि कोई उपबंध अधिक्य यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट किया गया है।			पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (3) देखें

	(छ) बजट संबंधी अनुदानों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद सहायिकी, यदि कोई हो। मद संख्या 6 का योग -----	रुपए.....		पाद टिप्पण (2) देखें
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद सं. 5-मद संख्या 6)		रुपए.....	पाद टिप्पण (2) देखें

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (ख) में, “अनुमोदित उपदान निधि” का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यक्षीन लाभ और हानि लेखा में रखा गया है और आय पर करों के लिए उपबंध को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक उपबंध को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद – टिप्पण

- (1) यदि वे और जिस विस्तार तक, वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (2) यदि वे और जिस विस्तार तक, वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।]

परिशिष्ट ग सकल लाभों की संगणना

[(नियम 25 देखें)]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं	विवरण	उप-मदों के लिए रकम	मुख्य मदों के लिए रकम	टिप्पणी
		रु.	रु.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लाभ और हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबंधित रकम पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवक्षयण। (ग) प्रत्यक्ष कर, जिसमें पिछले लेखा वर्षों के लिए उपबंध (यदि कोई हो) सम्मिलित है। (घ) विकास रिबेट/निवेश भत्ता/विकास भत्ता आरक्षिति। (ङ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का कुल योग.....	रुपये.....		पादटिप्पण (1)देखें पादटिप्पण (1) देखें

4	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अभिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में प्रत्यक्ष रूप से जमा किए गए हैं - (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवक्षयण को अनुज्ञात नहीं किया गया है; (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां; (iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। मद संख्या 4 का सकल योग	रुपये..... ..		
5.	मद संख्या. 1,2,3 और 4... का सकल योग.....	रुपये..... ..		

6.	कटौती:- (क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन आस्तियों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है)। (ख) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां। (ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। (घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में से प्रत्यक्ष रूप से विकलित की गई हैं:- (i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है); (ii) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां। (ङ.) विदेशी बैंककारी कंपनियों की दशा में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय कारबार के हिस्से में आना चाहिए। (च) पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी आधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्ष के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी यदि कोई उपबंध अधिक्य यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट किया गया है। (छ) बजट संबंधी अनुदानों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद सहायिकी, यदि कोई हो। मद संख्या 6 का योग -----			पादटिप्पण (2) देखें पादटिप्पण (2) देखें पादटिप्पण (2) देखें पादटिप्पण (3) देखें पादटिप्पण (2) देखें
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद सं. 5- मद संख्या 6)	रुपये..... ...		

स्पष्टीकरण।- मद 3 की उप-मद (कक) में, "अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड" का वही अर्थ है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में दिया गया है।

पाद टिप्पण:-

1. यदि, और उस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया।
2. यदि, और उस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किया गया।
3. उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का) (7 मद संख्या) उस समेकित लाभ हानि खाते के अनुसार जो केवल-संकलित विश्व सकल लाभ से है। (में हो यथा समायोजित रूप में है 2 उपर्युक्त मद संख्या

परिशिष्ट घ
[नियम 24 देखें]

मद संख्या	नियोजक की श्रेणी	कटौती की जाने वाली अतिरिक्त रकम
(1)	(2)	(3)
1.	बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश जो ऐसी वास्तविक दर पर संशोधित हो, जिस पर ऐसे लभांश संदेय है; (ii) लेखा वर्ष के प्रारंभ पर जैसा कि संदत्त साम्य शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत; (iii) लेखा वर्ष के प्रारंभ पर जैसा तुलन पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का 6 प्रतिशत जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ सम्मिलित है; परन्तु जहां नियोजक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कुल रुपये जिसकी कटौती की जानी है, वे उस संकलित मूल्य पर 8.5 प्रतिशत होंगी, जो भारत में उस कंपनी की शुद्ध विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संदर्भ में उसके चालू देयताओं की रुपये की (जो उस किसी रुपये से भिन्न है, जो चाहे तो उसके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदिदाय रकमयां अन्यथा या कंपनी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को दिए किसी ब्याज की रुपये कंपनी द्वारा प्रधान कार्यालय को देय दर्शाई गई है) कटौती करने के पश्चात है।
2.	बैंकिंग कंपनी	(i) उसकी अधिमान प्राप्त अंशपूंजी की वचत लेखा वर्ष के लिए संदेय लाभांश के ऐसी दर पर संबंधित है, जिस पर ये लाभांश संदेय है। (ii) लेखा वर्ष के आरंभ पर यथाविद्यमान उसकी प्रदत्त इक्यूटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत; (iii) उसके तुलना पत्र में लेखा वर्ष के प्रारंभ पर यथादर्शित उसकी आरक्षित (रिजर्व) का 5 प्रतिशत, जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ भी सम्मिलित है। (iv) लेखा वर्ष की बाबत कोई रकम, जो उसके द्वारा – (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी आरक्षित निधि को अंतरित की गई है; या (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या सूचना के अनुसार भारत में किन्हीं आरक्षितियों को अंतरित की गई है, उक्त दोनों में से जो भी अधिक है: परन्तु जहां बैंकिंग कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जाने वाली रकम निम्नलिखित का योग होगी- (i) उसके अधिमान प्राप्त अंशधारियों को लेखा वर्ष के लिए ऐसी रकम पर जिसका उसकी कुल अधिमान प्राप्त अंश पूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसके कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है, उसकी दर से संदेय लाभांश जिस पर ऐसे लाभांश संदेय हैं;

		(ii) इस रूपयेका 7.5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल समादत्त साधारण अंशपूँजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसकी कुल कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iii) उस रकम का 5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल प्रकटित आरक्षितियों से वही अनुपात है जो भारत में उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iv) कोई रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में उसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है और जो पूर्वोक्त उपबंध के अधीन इस प्रकार जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधिक नहीं हैं।
3.	निगम	(i) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त पूँजी का 8.5 प्रतिशत; (ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके कुल तुलन-पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का, यदि कोई हों, 6 प्रतिशत जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेनीत कोई लाभ भी है।
4.	सहकारी सोसायटी	(i) लेखा सोसायटी द्वारा अपने स्थापन में निहित उस पूँजी का 8.5 प्रतिशत, जो लेखा वर्ष प्रारंभ पर उसकी लेखा-बहियों से साक्ष्यित है; (ii) ऐसे रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में सहकारी सोसायटियों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरक्षित निधि में अग्रेनीत की गई हो।
5.	कोई अन्य नियोजक जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आता	उसके द्वारा अपने स्थापन में निवेश की गई पूँजी का 8.5 प्रतिशत जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा बहियों से यथा साक्ष्यित है: परन्तु जहां ऐसा नियोजक वह व्यक्ति है जिसपर आय-कर अधिनियम का अध्याय 22 लागू होता है, वहां उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष के दौरान संदेय वार्षिक जमा रकम की भी कटौती की जाएगी: परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक कोई फर्म हैं, वहां उस लेखा वर्ष के संबंध में उस स्थापन से धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती के उपरांत उसे व्युत्पन्न सकल लाभों के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की भी कटौती उस स्थापन के संचालन में भाग लेने वाले सब भागीदारों के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी किन्तु जहां भागीदारी करार, मौखिक या लिखित, ऐसे किसी भागीदार को पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कराता है, तथा- (i) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अनाधिक है, वहां ऐसी रकम 5 लाख रुपये से अनाधिक हो, जो ऐसे प्रत्येक भागीदार को संदेय है, या (ii) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है वहां उतने प्रतिशत रुपये या ऐसे प्रत्येक भागीदार को 5 लाख रुपये की दर से परिकलित रुपये में से, जो भी कम हो, उस रुपये की, परन्तु के अधीन कटौती की जाएगी:या परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वहां- (i) लेखा-वर्ष के संबंध में उस स्थापन से ऐसे नियोजक को धारा-34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती करने के पश्चात् व्युत्पन्न सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की; या

		(ii) 5 लाख रुपये की, उक्त दोनों में से जो भी कम हो, कटौती ऐसे नियोजक के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।
--	--	--

स्पष्टीकरण: स्तंभ 3 की मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अधीन कोई ऐसी रकम निम्न प्रयोजनों के लिए सम्मिलित नहीं हैं जो-

- (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा;
- (ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;
- (iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रूप से अतिरिक्त ऐसी रकम जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी रकम, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस रकम से अधिक रकम, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए पृथक रखी गई है।

[फा. सं. पी-11023/03/2025-डब्ल्यूसी]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 343(E).—Whereas the draft of the Code on Wages (Central) Rules, 2025 were published as required under sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 936 (E), dated the 30th December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the notification was made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, suggestions and objections received from persons and stakeholders have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and in supersession of –

- (i) the Payment of Wages (Procedure) Rules, 1937;
- (ii) the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938;
- (iii) the Minimum Wages (Central) Rules, 1950;
- (iv) the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956;

- (v) the Payment of Wages (Procedure) Application to Scheduled employments Rules, 1962;
- (vi) the Payment of Wages (Manner of Recovery of excess Deductions) Rules, 1966;
- (vii) the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968;
- (viii) the Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme) Rules, 1972;
- (ix) the Payment of Bonus Rules, 1975;
- (x) the Equal Remuneration Rules, 1976; and
- (xi) the Payment of Undisbursed Wages (Air Transport Services) Rules, 1988;
- (xii) the Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1989;
- (xiii) the Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991;
- (xiv) the Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009;
- (xv) the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011;
- (xvi) the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021;
- (xvii) the Ease of Compliance to Maintain Register under Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936),

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Code on Wages (Central) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires. —

- (a) “appeal” means an appeal under sub-section (1) of section 49;
- (b) “appellate authority” means the appellate authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49;
- (c) “appendix” means Appendix annexed to these rules;
- (d) “authority” means the authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 45;
- (e) “Board” means the Central Advisory Board constituted by the Central Government under sub-

section (1) of section 42;

- (f) “Chairperson” means the Chairperson of the Board;
- (g) “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);
- (h) “Committee” means a committee appointed by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- (i) “day” means a period of twenty-four hours beginning at mid-night;
- (j) “electronically” means any information submitted by email or maintained or displayed on the designated portal or mobile application or website or digital payment in any mode for the purposes of the Code;
- (k) “form” means the forms appended to these rules;
- (l) “geographical area” means the areas notified by the Central Government from time to time.
- (m) “highly skilled occupation” means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for judgment or decision involved in the execution of such occupation;
- (n) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the Central Government, under sub-section (1) of section 51;
- (o) “member” means a member of the Board;
- (p) “normal rate of wage” means wage as defined under clause (y) of section 2;
- (q) “registered trade union” means a trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);
- (r) “section” means a section of the Code;
- (s) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (t) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;
- (u) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein, shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

MINIMUM WAGES

3. Manner of calculating minimum rate of wages.—(1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed by the day basis keeping in view the criteria which shall be separately specified by the Central Government by special or general order:

Provided that the Central Government shall not fix the minimum wages of the Central Government employees under this Code.

(2) Where the rate of wages for a day is fixed, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such

division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(3) In case there is less than six days working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

4. Interval for revision of variable dearness allowance.- The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

5. Hours of work for normal working day. - (1) The number of hours of work which shall constitute normal working day for an employee whose wage period is on a daily basis shall be eight hours and interval for rest shall be in accordance with notification issued in this regard under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The number of hours of work which shall constitute a normal working day for an employee whose wage period is other than on a daily basis shall be so fixed that the total number of weekly working hours shall not exceed forty-eight hours.

6. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest for one day in every week (hereinafter referred to as “the rest day”), in case of six-day working week which shall ordinarily be a Sunday and in case of less than six-days working week, the rest day shall include Saturday and Sunday, however, the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that in a six-days working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule, if he has worked under the same employer in case of six-days working week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six-days working week for a continuous period of the stipulated number of working days, as the case may be:

Provided also that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment or electronically.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of days worked in a week specified in the second proviso to this sub-rule,

- (a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work;
- (b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and;
- (c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week, as the case may

be, immediately preceding the rest days.

(2) An employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he is allowed a substituted rest day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made, which shall result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day.

(3) Where any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purposes of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted for rest day, wages calculated at the rate applicable to the previous working day; where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day:

Provided that in case of six-days working week where—

- (i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty-six; or
- (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and
- (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, the employee shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable at the overtime rate, which shall not be less than twice the normal rate of wages,

and, in case any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Chief Labour Commissioner (Central) or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction may, on application made in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the employee shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, the words ‘previous working day’ means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the previous working day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression ‘week’ shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

7. Night shifts. —Where an employee works on a shift which extends beyond midnight, then, —

- (i) a rest day for the whole day for the purposes of rule 6 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- (ii) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

8. Extent and conditions of working hours for certain categories of employees.- The number of working hours for certain categories of employees under sub-section (2) of section 13 may exceed the normal working hours, specified in rule 5:

Provided that the overtime of these categories of employees shall be as per section 14.

9. Longer wage period. - The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

FLOOR WAGES

10. Manner of fixing floor wage.- (1) For fixing the floor wage, the Central Government may consult the Board, taking into account the minimum living standard including the food, clothing, housing and any other factors considered appropriate by the Central Government from time to time.

(2) The consultation under sub-rule (1) may be circulated to all the State Governments for further consultation and their comments.

(3) The consultation of the Board and the views of the State Governments received may be considered before fixing the floor wage under sub-rule (1).

(4) The Central Government may revise the floor wage fixed under sub-rule (1) ordinarily at an interval not exceeding five years and undertake adjustment for variations in the cost of living periodically in consultation with the Board and the State Governments.

CHAPTER IV

PAYMENT OF WAGES

11. Payment of wages to contractual employee.- Where the employees are employed in an establishment through a contractor, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor, the amount payable in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation: -For the purpose of this rule, the expression “firm” shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

12. Payment of wages for less than normal working day.— An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, in case the employee had agreed to work on part time basis, as per the terms of the employment or not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

13. Recovery of deductions.— As per sub-section (4) of section 18, where the total deductions authorised under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period, in instalments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

14. Authority for approving acts and omissions.— The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for approving acts and omissions for the purposes of sub-section (1) of section 19.

15. Manner of exhibiting notice specifying acts and omissions.— A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi, English and local language at the conspicuous place in the premises of the work place in which the employment is carried on and a copy of the notice shall be sent electronically or by speed post to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

16. Procedure for imposing fines.— (1) As per sub-section (3) of section 19, the employer shall give intimation electronically or in writing to the employee concerned specifying therein the particulars of acts and omissions done by the employee, warranting the imposition of fine, for showing cause within seven days.

(2) On establishment of charges, fine shall be imposed on the delinquent employee.

(3) Wherein no reply is received from the employee within the scheduled period, fine shall be imposed and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the imposition of such fine.

17. Intimation of deduction for absence from duty.—(1) When an employer intends to make any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, the employer shall intimate electronically or in writing to the employee concerned regarding their intention of making such deduction seeking their reply within a period of seven days and on establishment of charges, deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub- section (3) of section 18.

(2) If no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wages and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

18. Procedure for deduction for damage or loss.—(1) Any employer intending to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee, shall give the employee an opportunity to submit explanation within a period of seven days, showing cause, the value of the damage caused or loss of goods expressly entrusted to the employee.

(2) On establishment of the charges, deductions shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of section 18.

(3) In case no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wage of the employee concerned and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

19. Conditions regarding recovery of advance:— The recovery of,—

- (i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or
- (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23,

as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in instalments determined by the employer, so as any or all instalments in a wage period, shall not exceed fifty per cent of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 13 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-IV.

20. Deduction for recovery of loans:— As per section 24, deductions for recovery of loans granted and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the Central Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER V

PAYMENT OF BONUS

21. Payment of bonus to contractual employee.- Where in an establishment, the employees are employed through a contractor and the contractor fails to pay the bonus under section 26, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay minimum bonus to the employees.

22. Calculation for sixth accounting year:— For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Appendix A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off, in respect of the fifth and sixth accounting years.

23. Calculation for seventh accounting year:— For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Appendix A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

24. Computation of gross profits for banking company:— The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company under clause (a) of section 32, be calculated in the manner specified in Appendix B.

25. Computation of gross profits for other than banking company:— The gross profits derived

by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall, in a case other than banking company under clause (b) of section 32, be calculated in the manner specified in Appendix C.

26. Deduction of further sums from gross profit:— The further sums specified in respect of the employer in Appendix D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

27. Manner of carrying forward when allocable surplus exceeds maximum bonus payable:— Under sub-section (1) of section 36, where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on upto and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in the manner as illustrated in Appendix A.

28. Manner of carrying forward when there is no allocable surplus for payment of minimum bonus:— Under sub-section (2) of section 36, where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26 and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 27 which shall be utilised for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on upto and inclusive of the fourth accounting year in the manner as illustrated in Appendix A.

CHAPTER VI

CENTRAL ADVISORY BOARD

A. Procedure of Central Advisory Board

29. Constitution of the Board.- The Board shall be constituted under sub-section (1) of section 42 by the Central Government consisting of persons to be nominated by the Central Government.

30. Meeting of the Board. - The Chairperson of the Board may, subject to the provisions of rule 32, call a meeting of the Board at any time as deemed fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

31. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by speed post or electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days may be given to every member.

32. Functions of Chairperson. – The Chairperson shall-

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting; and

(iv) such other functions that the Central Government may assign from time to time.

33. Quorum:—No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and the employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to the members.

34. Disposal of business of Board.—All business of the Board shall be considered at the meeting of the Board and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

35. Method of voting.—Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and held in the manner as the Chairperson may decide.

36. Proceedings of meetings.—(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the Central Government as soon after the meeting *as possible* and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

37. Summoning of witnesses and production of documents:—(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses incurred in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

B. TERMS OF OFFICE OF MEMBERS OF BOARD

38. Term of office of members of Board.- (1) The term of office of the Chairperson and members, shall be three years commencing from the date of appointment or nomination, as the case may be:

Provided that the Chairperson or a member shall after the expiry of the said period of three years, continue to hold office until their successor is appointed or nominated.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place that independent member is nominated or till the time a regular incumbent joins.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.

39. Travelling allowance. - (1) The travelling allowance of an official member of the Board shall be governed by the rules applicable to them for the journey performed on official duties and shall be paid by the authority paying the salary.

(2) The non-official members of the Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the Board as per the instructions issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India from time to time.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression “official member” shall mean regular government officers, officiating as members of the Board in that capacity and “non-official member” shall be who are not “official members”.

40. Officers and staff of Board. - The Central Government may provide the necessary infrastructure, as it may think necessary for the proper functioning of the Board.

41. Eligibility for re-nomination of members of Board. - An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

42. Resignation of Chairperson and members of Board. - (1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign from the membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the Central Government.

(2) The resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the Board, the Chairperson shall submit a report to the Central Government immediately and the Central Government shall, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

43. Cessation of membership. - If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without prior intimation to the Chairperson, he shall cease to be a member thereof.

44. Disqualification. - (1) A person shall be disqualified for being nominated as and for being a member of the Board—

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a person has been subject to disqualification under sub-rule (1), the decision of the Central Government thereon shall be final.

CHAPTER VII

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, ETC.

45. Payment of undisbursed dues to nominees in case of death of employee :— (1) (a) In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 44, every employee shall make a declaration in Form-VII in physical form or electronically, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in the credit of the employee on the event of death, before that amount standing to the credit of such employee has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of the family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of the family shall be invalid:

Provided further that a fresh nomination towards the spouse of the employee shall be made by the employee on marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of the family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, the employee may by discretion, appoint any other person to be the guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, the nomination shall specify the amount or share payable to each of the nominees at employee's own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to the credit of the employee.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after the death or on account of whereabouts not being known of the employee and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining the identity of the employee within two months of the date on which the amount was so deposited.

46. Deposit of undisbursed dues in case of death of employee:— (1) Where any amount payable to an employee under clause (b) of sub-section (1) of section 44 remains undisbursed since no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee, all such amounts shall be deposited by the employer after the expiry of six-months from the date the amount become payable, with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount to be deposited under sub-clause (1) shall be through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

47. Manner of dealing with deposit of undisbursed dues:— The undisbursed amount in sub rule (1) of rule 46 (hereinafter in this rule referred to as “the amount”) shall remain with the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) shall exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars as the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two local newspapers of vernacular language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned and also in two local newspapers in vernacular language in the area of permanent residence of the employee.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Deputy Chief Labour Commissioner (Central) has decided, after giving the opportunity of being heard.

(4) In case the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt as directed by the Central Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VIII

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

48. Returns. - The returns shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the Forms under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

49. Form and procedure for filing claims:— (1) A single application on behalf of or in respect of any number of or group of employees employed in the same establishment wherein their claims relate to the same wage period or any incident of discrimination, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II, manually or electronically along with documents specified in the said Form, before the authority notified by Central Government under sub-section (1) of section 45 to hear and determine claims which arise under the provisions of the Code.

(2) Where an application under sub-rule (1) is filed, the authority shall serve upon the employer electronically or by speed post, a notice in Form VIII to appear before them on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) In case where the employer or their representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application *ex-parte*.

(4) In case where the applicant or their representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

50. Procedure for filing appeal:— (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III electronically or by speed post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction:

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate Authority shall serve upon the respondent electronically or by speed post, a notice in Form VIII to appear before them on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) In case where the employer or their representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) In case where the applicant or their representative fails to appear on the specified date, the authority may dismiss the appeal.

51. Form of register, etc.- (1) The employer of all establishments to which the Code applies shall maintain under sub-section (1) of section 50, electronically or in physical form in the formats appended to these rules, the following registers:—

- (i) Employee Register in Form I;
- (ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form IV; and
- (iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in Form IX.

(2) All fines and all realisations referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form - IV and the authority referred to in sub-section (8) shall be the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction.

(3) All deductions and realisations referred to in sub section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV.

(4) The registers maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

52. Wage slip. -Every employer shall issue wage slips, electronically or in physical form to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

53. Manner of holding enquiry:— (1) Where a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as “the officer”) in respect of the offences referred to in said sub-section, either by an officer authorised for such purpose by the Central Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or an Inspector-cum-Facilitator, the officer after considering such evidence as produced by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons

to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the officer, the officer shall explain the offence complained against and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty in accordance with the provisions of the Code and if the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced.

(3) The officer shall record in writing the statement of the witnesses on oath and in cross examination and take the documentary evidence on record.

(4) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide an opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(5) The officer shall after hearing the parties and considering the evidence both oral and documentary, decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

54. Manner of composition of offences:—(1) An accused person desirous of composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or manually to the Gazetted Officer notified under said sub-section.

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1) shall on receipt of such application, satisfy as to whether the offence is compoundable or not under the Code and, if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compound the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) The compounding officer shall issue a composition certificate in Part-B of Form-VI within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in compliance of the composition notice.

(4) In case where a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the compounding officer, prosecution shall be instituted before the competent court against such person for such offence in respect of which the compounding notice was issued.

(5) Where the offence has been compounded under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, the officer shall send a copy of such order for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for action under sub-section (6) of section 56.

FORM I (See clause (i) of sub-rule (1) of rule 51)	
EMPLOYEE REGISTER	
Name of the Establishment	
Name of the Employer	
Name of the Owner	
PAN/TAN of the Employer	
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)	
1. Employee Code	
2. Name	
3. Surname	
4. Gender	
5. Father's/Mother's/Spouse Name	
6. Date of Birth	
7. Place of Birth	
8. Nationality	
9. Education Level	
10. Date of Joining	
11. Designation	
12. Category (HS/S/SS/US)*	
13. Type of Employment (P/T/FT/T/B)**	
14. Details of Posting	
15. Pay	
16. Promotion	
17. Mobile Number	
18. Universal Account Number (UAN)	
19. PAN	
20. Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)	
21. Details of Family	
22. EPS/NPS	
23. ESIC IP No.	
24. AADHAAR NO.	
25. Bank A/c Number	
26. Bank	
27. Branch (IFSC)	
28. Present Address	
29. Permanent Address	
30. Service Book No.	
31. Date of Exit	
32. Reason for Exit	
33. Mark of Identification	
34. Photo	
35. Specimen Signature/Thumb Impression	
36. Remarks	

* (Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)

FORM-II

[See sub rule (1) of rule 49]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON
WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA..... Application No

..... of 20.....

Between ABC and (State the number).....other.....Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address.....

And XYZ.....

Address..... The

application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed fromto..... as.....(category) in..... (establishment) Shri/M/s.....engaged in(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.....Per day for the period(s) from.....to.....

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs Per day for the weekly days of rest from.....to...

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to....

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period fromto..... (e)Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under:

(a) Rs.....

(b) Rs.....

(c) Rs..... Total

Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs.....

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated

Signature of thumb-impression of the
Employed person(s) of official of a
registered trade union duly authorized or
inspector-cum-Facilitator

Note:The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See sub rule (1) of rule 50)

APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019 BEFORE THE
APPELLATE AUTHORITY UNDER THE CODE ON WAGES, 2019

A.B.C

Address.....
.....APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address.....
RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number

and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :—[Specify below

the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

..... Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

.....

Date of filing or
Date of receipt by post
Registration No.

Authorized Signatory

(See clause (ii) of sub rule (1) of rule 51)

[illegible][illegible]

Date of Payment	Receipt by employee/Bank transaction ID	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Signature of Employer/Employer Representative*
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

*Note: Required in case register is maintained physically.

FORM V (See rule 52)	
WAGE SLIP	
Date of issue	
Name of the Establishment	
Address	
Period	
1. Name of employee	
2. Father's/Mother's/Spouse Name	
3. Designation	
4. UAN	
5. Bank Account Number	
6. Wage period	
7. Rate of wages payable	
a. Basic	
b. DA	
c. Allowances	
8. Total attendance/unit of work done	
9. Overtime wages	
10. Gross wages payable	
11. Total deductions	
a. PF	
b. ESI	
c. Others	
12. Net wages paid	
*Employer / Pay-in-charge signature	

Note: Required in case register is maintained physically

FORM VI
Part - A
[See sub rule (1) of rule 54]
APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :

2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:.....
.....
5. Section of the Code under which the offence is committed :
.....
6. Maximum fine provided for the offence under the Code :
.....
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not
.....
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.
.....
9. Any other information which the applicant desires to provide
.....

Dated:

Applicant (Name and signature)

PART – B
[See rule 54 (3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 54 in respect of which Notice No. _____ Dated: _____ was issued to Sh..... (Applicant), the employer of (name and registration number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)

Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

FORM-VII

(See clause (a) of sub rule (1) of rule 45) NOMINATION

FORM

1. Name of person making nomination:
(In block letters):
2. Father's/Spouse's Name:
3. Date of Birth:
4. Sex:

5. Marital Status:

6. Address:

Permanent:

Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Name of nominee/nominees	Address	Nominee's relationship with the employee	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship, and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me.

3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Kuemployed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases. Signature of the

employer or other authorised officer of the establishment and Designation Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof

ACKNOWLEDGEMENT BY THE EMPLOYEE

Received the duplicate copy of nomination in Form-VIII filed by me and duly certified by the employer. Date: _

Signature of the Employee

FORM VIII

(See sub rule (2) of Rule 49)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45

(Title of the application)

To

Name Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application to me under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the.....Day of.....20....at.....AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date.....

Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by _____ (name of appellant) before this appellate authority, and that the _____ day of _____ 20__ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date.....

Signature of the Appellate authority with seal

Form IX (See clause (iii) of sub rule (1) of Rule 51) ATTENDANCE REGISTER CUM MUSTER ROLL					
Name of the Establishment					
Name of the Employer					
Name of the Owner					
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)					
For the Month of					
Sl. No.	Employee Code	Name	Designation	Shift	Place of work/Section/Department
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date and Time of attendance (7)																						
Date	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	
Signature																	
Date	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	
Signature																	
Total number of days worked		Total number of overtime hours worked				Brief details of tour or assignment outside the work place, if any										Signature of Register keeper*	
(8)		(9)				(10)										(11)	

*Note: Required in case register is maintained physically.

Appendix A

[See rules 22, 23, 27 and 28]

In this Appendix, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Year	Amount equal to sixty per cent. or sixty-seven per cent., as the case may be, of available surplus allocable as bonus	Amount payable as bonus	Set on or Set off of the year or carried forward	Total set on or set off carried forward	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Of (year)
1.	1,04,167	1,04,167**	Nil	Nil	
2.	6,35,000	2,50,000*	Set on 2,50,000*	Set on 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (inclusive of 30,000 from year-2)	Nil	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	Set on 1,25,000	Set on 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (inclusive of 1,10,000 from year-2)	Nil	Set on 1,10,000 1,25,000	(2) (4)

6.	3,10,000	2,50,000*	Set on 60,000	Set on Nil + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (inclusive of 1,25,000 from year-4 and 25,000 from year-6)	Nil	Set on 35,000	(6)
8.	Nil (due to loss)	1,04,167** (inclusive of 35,000 from year-6)	Set off 69,167	Set off 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	Set off 94,167	Set off 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (after setting off 69,167 from year-8 and 41,666 from year-9)	Nil	Set off 52,501	(9)

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Appendix B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[See rule 24] Accounting year ending

Item No.	Particulars	Amount of sub-Items	Amount of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	Net Profit as shown in the Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions.			
2.	Add back provision for:			
	(a) Bonus to employees			
	(b) Depreciation			
	(c) Development Rebate Reserve			See foot-note(1)
	(d) Any other reserves			
	Total of Item No. 2.....	Rs.....		See foot-note(1)

3.	Add back also: (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (b) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of - (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (c) Donations in excess of the amount admissible for income-tax . (d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax). (e) Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949). (f) Losses of, or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		See foot-note(1)
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to published or disclosed reserves, other than- (i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on such depreciation has not been allowed for income-tax); (ii) profits of, and receipts relating to , any business situated outside India; (iii) income of foreign banking companies from investment outside India. Net total of Item No.4.....	Rs.....		
5.	Total of Item Nos.1, 2, 3 and 4...	Rs.....		

6.	Deduct : (a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax). (b) Profits of, and receipts relating to any business situated outside India. (c) Income of foreign banking companies from investments outside India . (d) Expenditure or losses (if any) debited directly to published or disclosed reserves, other than - (i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax); (ii) losses of any business situated outside India.			See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (3)
	(e) In the case of foreign banking companies proportionate administrative (overhead) expenses of head-office allocable to Indian business. (f) Refund of any excess direct tax paid for previous accounting years and excess provision if any of previous accounting years, relating to bonus, depreciation or development rebate, if written back. (g) Cash subsidy, if any, given by the government or by anybody corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes . Total of Item No. 6	Rs.....		See foot-note (2) See foot-note (2)
7.	Gross profits for purposes of bonus (Item No. 5 minus Item No. 6)		Rs.....	

Explanation.— In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-note:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

- (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.
 (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

Appendix C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[(See rule 25)] Accounting year ending.....

Item No.	Particulars	Amount. Of sub-Items	Amount. Of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Net profit as per profit and loss account			
2.	Add back provision for : (a) Bonus to employees (b) Depreciation. (c) Direct taxes, including the provision (if any), for previous accounting years (d) Development rebate / investment allowance / development allowance reserve. (e) Any other reserves Total of Item No.2.....			See foot-note (1) See foot-note (1)
		Rs.....		
3.	Add back also : (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (aa) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of- (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (b) Donations in excess of the amount admissible for income-tax . (c) Any annuity due, or commuted value of any annuity paid, under the provisions of section 280D of the Income Tax Act during the accounting year.			See foot-note (1)

	(d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax or agricultural income-tax.). (e) Losses of , or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		See foot-note (1)
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to reserves, other than- (i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax or agricultural income-tax); (ii) profits of, and receipts relating to, any business situated outside India; (iii) income of foreign concerns from investments outside India. Net total of Item No.4.....	Rs.....		
5.	Total of Item Nos. 1,2,3 and 4..	Rs.....		
6.	Deduct : (a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax or agricultural income-tax). (b) Profits of, and receipts relating to, any business situated outside India. (c) Income of foreign concerns from investment outside India. (d) Expenditure or losses (if any) debited directly to reserves, other than- (i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax ; or agricultural income-tax; (ii) losses of any business situated outside India. (e) In the case of foreign concerns proportionate administrative (overhead) expenses of head office allocable to Indian business.			See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (2)

	(f) Refund of any direct tax paid for previous accounting years and excess provision, if any, of previous accounting years relating to bonus, depreciation, taxation or development rebate or development allowance, if written back. (g) Cash subsidy, if any, given by the government or by any body corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes. Total of Item No.6			See foot-note (3) See-foot-note (2)
7.	Gross Profits for purposes of bonus (Item No.5 minus Item No.6)	Rs.....		

Explanation.— In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-note:-

- (1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.
(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only)

Appendix D
[See rule 26]

Item No.	Category of employer	Further sums to be deducted
(1)	(2)	(3)
1.	Company, other than a banking company.	(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the actual rate at which such dividends are payable; (ii) 8.5 percent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year; (iii) 6 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year : Provided that where the employer is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act ,2013 (18 of 2013) , the total amount to be deducted under this item shall be 8.5 percent on the aggregate of the value of the net fixed assets and the current assets of the company in India after deducting the amount of its current liabilities (other than any amount shown as payable by the company to its Head Office whether towards any advance made by the Head Office or otherwise or any interest paid by the company to its Head Office) in India.

2.	Banking company	(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the rate at which such dividends are payable ; (ii) 7.5 per cent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year ; (iii) 5 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year; (iv) any sum which, in respect of the accounting year, is transferred by it- (a) to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) ; or (b) to any reserves in India in pursuance of any direction or advice given by the Reserve Bank of India, whichever is higher: Provided that where the banking company is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act , 2013 (18 of 2013), the amount to be deducted under this item shall be the aggregate of- (i) the dividends payable to its preference shareholders for the accounting year at the rate at which such dividends are payable on such amount as bears the same proportion to its total preference share capital as its total working funds in India bear to its total world working funds; (ii) 7.5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total paid up equity share capital as its total working funds in India bear to its total working funds. (iii) 5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total disclosed reserves as its total working funds in India bear to its total world working funds; (iv) any sum which, in respect of the accounting year, is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , not exceeding the amount required under the aforesaid provision to be so deposited.]
3.	Corporation	(i) 8.5 per cent of its paid up capital as at the commencement of the accounting year; (ii) 6 per cent of its reserves, if any, shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year.
4.	Co-operative society	(i) 8.5 per cent of the capital invested by such society in its establishment as evidenced from its books of accounts at the commencement of the accounting year; (ii) such sums as has been carried forward in respect of the accounting year to a reserve fund under any law relating to co-operative societies for the time being in force.

5.	Any other employer not falling under any of the aforesaid categories	8.5 per cent of the capital invested in the establishment as evidenced from his books of accounts at the commencement of the accounting year: Provided that where such employer is a person to whom Chapter XXII-A of the income Tax Act applies, the annuity deposit payable under the provisions of that Chapter during the accounting year shall also be deducted: Provided further that where such employer is a firm, an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by it from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34 by way of remuneration to all the partners taking part in the conduct of business of the establishment shall also be deducted, but where the partnership agreement, whether oral or written, provides for the payment of remuneration to any such partner, and - (i) the total remuneration payable to all such partners is less than the said 25 per cent the amount payable, subject to a maximum of five lakh rupees to each such partner; or (ii) the total remuneration payable to all such partners is higher than the said 25 percent, such percentage, or a sum calculated at the rate of five lakh rupees to each such partner, whichever is less, shall be deducted under this proviso: Provided also that where such employer is an individual or a Hindu Undivided Family - (i) an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by such employer from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34; or (ii) five lakh rupees, whichever is less by way of remuneration to such employer, shall also be deducted.
----	--	--

Explanation.— The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

- (i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;
- (ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;
- (iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-
 - (a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and
 - (b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

[F. No. P-11023/03/2025-WC]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.